



FIROZABAD POLICE

“सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा”



प्रेस नोट थाना टूण्डला दिनांक 20-07-2024 जनपद फिरोजाबाद ।

थाना टूण्डला पुलिस टीम द्वारा नाबालिग के साथ गलत काम करने के आरोपी अभियुक्त सुनील यादव को किया गया गिरफ्तार ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा जनपद में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी टूण्डला के कुशल नेतृत्व में थाना टूण्डला पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 447/24 धारा 65(2) बीएनएस व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त सुनील यादव पुत्र स्व गोपाल यादव को ग्राम गढी दरगपुर चौकी हिरनगांव से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

घटना का विवरण- दिनांक 19.07.2024 को वादी द्वारा थाना उपस्थित आकर तहरीर दी गयी कि उसके गांव के एक युवक सुनील पुत्र गोपाल निवासी गढी दरगपुर थाना टूण्डला ने वादी की चचेरी बहिन उम्र करीब 10 वर्ष को हाथ पकडकर शौचालय में ले जाने व उसके साथ गलत काम किया है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना टूण्डला पर मु0अ0सं0 447/24 धारा 65(2) बीएनएस व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सुनील यादव को मुखबिर की सूचना पर ग्राम गढी दरगपुर से गिरफ्तार किया गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1. सुनील यादव पुत्र स्व गोपाल यादव निवासी ग्राम गढी दरगपुर थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 447/2024 धारा 65(2) बीएनएस व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्र0नि0 श्री अनुज राणा थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
2. निरीक्षक अप0 श्री कृष्ण स्वरूप पाल थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
3. है0का0 681 हरवेन्द्र सिंह थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
4. है0का0 346 दिलीप कुमार थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
5. का0 62 आशीष ठैनुआ थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।